राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड बारां

दिनांक:

क्रमांक :

राजस्थान आवासन मण्डल वृत्त कोटा द्वारा **खण्ड बारां** के अधीन आवासीय योजना **छबड़ा** में विभिन्न आय वर्गों व **छीपाबड़ौद** योजना के घरौंदा आवासों की खुली बिक्री योजना में नकद भुगतान/किराया क्रय पद्धति पर

10% छूट के साथ

आवास प्राप्त करने का स्वर्णिम अवसर

पूर्व पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत आवेदको हेतु

योजना प्रारम्भ तिथि
दिनांक 18.02.2015

योजना की अन्तिम तिथि
दिनांक 30.06.2015

इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध आवासों की संख्या, माप व लागत का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र सं	आवासों की श्रेणी	उपलब्ध आवासों की संख्या	माप (मीटर में)	आवेदन पत्र के साथ देय पंजीकरण एवं एक अग्रिम पूर्वग्रहण राशि तथा प्रोसेसिंग फीस रू.	आवास की कुल लागत रूपये	किराया क्रय पद्धति के आवेदन पर सेवाकर राशि रू.	किराया क्रय पद्धति लिए			नगद भुगतान पद्धति (3 माह में)
							एक माह के अन्दर देय राशि	किश्तो की संख्या	किश्त की राशि	
1	**आवासीय योजना छबड़ा**									
	घरौंदा	51	3.75X8.00	12500	203000	387	33146	240	1553	193058
	आ.दृ.क. आय वर्ग	54	3.75X11.25	12500	304300	387	55366	240	2328	294909
	अल्प आय वर्ग–I	08	6.00X15.00	25700	778800	795	147764	240	7290	759179
	अल्प आय वर्ग–III	09	6.00X15.00	25700	677700	795	126016	240	6343	658079
	मध्यम आय वर्ग अ	48	8.00X15.00	91000	1194400	——लागू नहीं——				1148012
	मध्यम आय वर्ग 'ब'	18	9.00X18.00	151500	1477000	——लागू नहीं——				1382895
	उच्च आय वर्ग	17	10.50X18.00	222000	2156100	——लागू नहीं——				2016111
2	**आवासीय योजना छीपाबड़ौद**									
	घरौंदा	148	3.75X8.00	12500	178700	387	27963	240	1367	168758

नोट :–

1. उक्त दर्शाई गई लागत पर मण्डल नियमानुसार **10%** छूट देय होगी।
2. उपरोक्त लागत के अतिरिक्त मण्डल नियमानुसार लीज राशि, अतिरिक्त भूमि (यदि कोई हो) की लागत व कोर्नर आवास के खर्चे, ए.एस.सी. चार्जेज, विधिक प्रभार तथा किराया क्रय पद्धति पर आवंटन की स्थिति में हायर परचेज, एक अग्रिम मासिक किश्त अलग से देय होगें। अन्य शर्ते आवेदन पत्र अनुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होगी एवं मण्डल के सम्बन्धित कार्यालय अथवा मण्डल की वेबसाईट **www.rhbonline.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती हैं।

विशेष लाभ :–

1 इस योजना के अन्तर्गत आवास लेने पर लागत में 10% छूट दी जावेगी, जो सीमित अवधि के लिए हैं। इस अवधि के पश्चात आवासों की कीमत में वृद्धि होगी। 2. आवासीय योजना छबड़ा को शीघ्र ही शहरी फीडर से जोडना प्रस्तावित हैं। 3. आवासीय योजना छबड़ा में सड़कों का डामरीकरण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाना हैं एवं सम्पर्क सड़क को 100 फुट (30मी.) चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है

सम्पर्क सूत्र :–

1- उप आवासन आयुक्त राज0आवा0मण्डल कोटा वृत्त कोटा दूरभाष नम्बर 0744–2500721, 2500685
2- आवासीय अभियन्ता राज0आवा0मण्डल खण्ड बारां दूरभाष नम्बर 07453–230456
3- परियोजना अभियन्ता (वरि0) राज0आवा0मण्डल उपखण्ड छबड़ा/छीपाबड़ौद मो. न. 09983993882

(RE, Baran)

विशेष बिन्दु :–

1. इस योजना के आवेदन पत्र दिनांक 18.02.2015 से सम्पर्क सूत्र कार्यालय से रूपये–300.00 नगद भुगतान पर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

2. इस योजना में आवास आवंटन हेतु प्रत्येक कार्य दिवस पर सायं 3.00 बजे तक कार्यालय आवासीय अभियन्ता खण्ड बारां में वन विभाग के सामने कोटा रोड़ बारां में आवेदन पत्र मय पंजीकरण की राशि डी.डी. राजस्थान आवासन मण्डल बारां के पक्ष में स्वीकार किए जाऐगें एवं आवासों का आवंटन निम्न वर्णित वरीयता क्रम से उसी दिन सायं 4 बजे खण्ड कार्यालय में किया जाऐगा।

3. पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत आवेदकों को आवासों के आवंटन में वरीयता निम्न क्रमानुसार प्रदान की जावेगी।
   - (i) नगद भुगतान पर उसी शहर में पूर्व पंजीकृत आवेदकों की पंजीकरण वर्ष एवं वरीयता के अनुसार प्रथम वरीयता
   - (ii) गैर पंजीकृत आवेदकों को नगद भुगतान पद्धति पर आवास लेने पर द्वितीय वरीयता
   - (iii) किराया क्रय पद्धति पर उसी शहर के पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण वर्ष एवं वरीयता के अनुसार तृतीय वरीयता
   - (iv) गैर पंजीकृत आवेदकों को किराया क्रय पद्धति पर आवास लेने पर चतुर्थ वरीयता

4. पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी हेतु दस्तावेजों की सत्यापित फोटो प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी एवं 10 रूपये के स्टाम्प पर पंजीकरण रिफण्ड/निरस्त एवं अन्य कोई आवास आवंटन नहीं होने बाबत् नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत शपथ पत्र गलत पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी एवं खुली बिक्री योजनान्तर्गत आवंटित आवास को निरस्त करते हुए जमा राशि जप्त कर ली जावेगी।

5. पूर्व पंजीकृत आवेदकों द्वारा ऊपर दर्शायी गई पंजीकरण राशि से यदि कम राशि जमा करवा रखी है तो उसके अंतर की राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा।

6. किराया क्रय पद्धति के अर्न्तगत उपरोक्त दर्शायी गई मासिक किश्तों के अतिरिक्त आवंटन पत्र में दर्शायी गई राशि 1 माह के अन्दर जमा करानी होगी। नगद भुगतान पद्धति पर सम्पूर्ण राशि 3 माह के अन्दर जमा करवानी होगी।

7. प्रथम दिवस के पश्चात् उपलब्ध आवासों के नम्बरों की सूची प्रतिदिन खण्ड कार्यालय, बारां के नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

8. आवासों का आवंटन "जहां है जैसा है" की अवस्था में किया जावेगा तथा आवास का भौतिक कब्जा यथा स्थिति में ही दिया जावेगा। मण्डल द्वारा इस योजना में विक्रित आवासों में किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य कार्य नहीं करवाया जावेगा।

9. सेवाकर राशि मण्डल नियमानुसार किराया क्रय पद्धति के आवेदन पर अलग से देय होगी।

10. नकद भुगतान में आवंटन पत्र की मांग राशि 3 माह में जमा करानी होगी। मांग राशि नियत तिथि तक जमा नही होने की स्थिति मे जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।

11. किसी भी प्रकार के न्यायिक विवाद के लिए जिला मुख्यालय पर न्यायालय ही मान्य होगा।

12. अन्य शर्ते आवेदन पत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होगी एवं मण्डल के सम्बन्धित कार्यालय अथवा मण्डल की वेबसाईट **www.rhbonline.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती हैं।

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल
खण्ड बारां

–:: सम्पर्क सूत्र ::–

1–उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा फोन नम्बर 0744–250072 , 2500685

2–आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड बारां फोन नम्बर 07453–230456

3–परियोजना अभियन्ता वरिष्ठ उपखण्ड अटरू/छबड़ा/छीपाबड़ौद राजस्थान आवासन मण्डल ,खण्ड बारां मो.09983993882

(RE Baran)